

कार्य परिषद् की बैठक - 25 जून, 2002 का कार्यवृत्त

कार्य परिषद् की बैठक मंगलवार, 25 जून, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया :-

1.	प्रो० एस०एस० कटियार कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा. ईश्वर चन्द्र गुप्त आराधना, 7/47, तिलक नगर, कानपुर	सदस्य
3.	डा.(कु०) रमा सिंह बी-1098, इन्दिरा नगर, लखनऊ	सदस्य
4.	डा० आर०के० सक्सेना अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, सीएसजे०एम विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
5.	प्रो० एल०सी० मिश्र अधिष्ठाता, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजे०एम विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
6.	प्रो० संजय. कुमार श्रीवास्तव आचार्य, व्यवसाय प्रबन्ध संकाय, सीएसजे०एम विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
7.	डा० नन्द लाल उपाचार्य, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजे०एम विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
8.	डा० (श्रीमती) हेमलता सिंह प्राचार्या, ज्याला देवी. विद्या मन्दिर डिग्री कालेज, कानपुर	सदस्य
9.	डा० जितेन्द्र कुमार सिंह प्राचार्य, सर्वोदय डिग्री कालेज, सलोन, रायबरेली	सदस्य
10.	डा० परवेज अर्नेस्ट डीन प्राचार्य, काइस्ट चर्च कालेज, कानपुर	सदस्य
11.	डा० एन०के० अग्रवाल गणित विभाग, एफ०जी० कालेज, रायबरेली	सदस्य
12.	श्री जे०एन०रैना वित्त अधिकारी	पदेन सदस्य
13.	डा० बी०के० पाण्डेय कुलसचिव	सचिव

कार्य विवरण

सर्व प्रथम माननीय कुलपति जी ने उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया। उपस्थित समस्त सदस्यों ने विश्वविद्यालय के संस्थागत परीक्षा, 2002 के परीक्षाफल एवं बी०एड० प्रवेश परीक्षा, 2002 का परीक्षाफल निर्धारित समय के अन्दर घोषित किये जाने पर कुलपति जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

कार्य परिषद् ने विचाणीय मदों पर अग्रलिखित निर्णय लिया :-

- कार्य परिषद् की विगत बैठक दिनांक 28 मार्च, 2002 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टीकरण पर विचार।

कार्य परिषद् ने अपनी विगत बैठक दिनांक 28 मार्च, 2002 में लिये गये निर्णयों के कियान्वयन से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से उसके कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण किया।

2. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद् के चयन हेतु गठित चयन समिति में कार्य परिषद् का प्रतिनिधि नामित करने पर विचार ।

विश्वविद्यालय में रिक्त निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्, के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति में कार्य परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में प्रो० दीपक कुंजल, अधिकारी- रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट, आई०आई०टी०, कानपुर को नामित करने का कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद् पद पर जबतक नियमित चयन नहीं हो जाता, तब तक डा० वी०एन०सेठ मानद निदेशक के रूप में महाविद्यालय विकास परिषद् का कार्य करते रहेंगे ।

3. शोध उपाधि के लिए मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 05.04.2002 तथा दिनांक 17.5.2002 द्वारा योग्य घोषित शोधार्थियों को शोध उपाधि से अलंकृत करने पर विचार ।

कार्य परिषद् द्वारा शोध उपाधि के लिए मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 5.4.2002, 17.5.2002 द्वारा योग्य घोषित 9 एवं 35, कुल 44 शोधार्थियों को शोध उपाधि से अलंकृत करने के निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

4. उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 896/सत्तर-1-2002-15(14)/92 दिनांक (14)/92 दिनांक 22.4.2002 तथा पत्र संख्या 1011/सत्तर-1-202-15(14)/92 दिनांक 10 मई, 2002 एवं पत्र संख्या 1093/सत्तर-1-2002 दिनांक 31-मई, 2002 में वर्णित उपबन्धों को परिनियमावली में यथास्थान प्रतिस्थापित/समायोजित करने पर विचार ।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 896/सत्तर-1-2002-15(14)/92 दिनांक 22.4.2002, पत्र संख्या 1011/सत्तर-1-2002-15(14)/92 दिनांक 10 मई, 2002 तथा पत्र संख्या 1093/सत्तर-1-2002 दिनांक 31 मई, 2002 के अनुपालन में उत्तम शैक्षणिक अभिलेख से सम्बन्धी प्राविधान विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यथा स्थान प्रस्थापित करने का निर्णय कार्य परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से लिया गया ।

5. डा०(श्रीमती) अर्पिता यादव, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, इन्स्टीट्यूट आफ इन्जी० एण्ड टेक्नालाजी, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर के अवकाश प्रकरण पर विचार ।

डा०(श्रीमती) अर्पिता यादव, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, इन्स्टीट्यूट आफ इन्जी० एण्ड टेक्नालाजी, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर के अवकाश प्रकरण, जो Prof. Nishizaya's Group, Tokushima Bunri University, Japan के अधीन परियोजना पर कार्य करने से सम्बन्धित हैं, कार्य परिषद् पतल पर प्रस्तुत किया गया । सम्भूति पर कार्य करने से सम्बन्धित हैं, कार्य परिषद् ने डा० श्रीमती अर्पिता यादव को दिनांक 20.7.2002 से दिनांक 15.11.2002 कुल 119 दिन का अवकाश अद्वैत वेतन पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया ।

6. कला भवन के प्रतिबन्धित प्रयोग के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय में कला भवन का निर्माण ठाकुर रत्न पाल सिंह द्वारा दिये गये सहयोग धनराशि रु० 7.0 लाख द्वारा 1993 में कराया गया, जिसका विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार उपयोग करने पर हस्तक्षेप करते हुए इनके द्वारा पत्र लिखा गया, जो विश्वविद्यालय के हित में नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर विधिक अभिमत प्राप्त कर आगामी कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया जाय।

7. कम्प्यूटर की जानकारी अनिवार्य बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार
अध्यक्ष महोदय ने कार्य परिषद् को अवगत कराया कि आज का युग कम्प्यूटर का युग है। कम्प्यूटर की जानकारी सबके लिए अपरिहार्य है। दिनांक 22.6.2002 को सम्पन्न कुलपति सम्मेलन में भी कम्प्यूटर की जानकारी पर जोर दिया गया था। अतः कम्प्यूटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को प्रेरित किया जाना आवश्यक है। कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के रिक्त पदों हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, उसमें कम्प्यूटर ज्ञान को अनिवार्य अर्हता के रूप में प्रकाशित किया गया है।

कार्य परिषद् के सभी सदस्यों ने कुलपति जी के उक्त वक्तव्य से सहमति प्रकट करते हुए समर्थन किया तथा कुलपति जी के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की सराहना की। कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी वृतीय ब्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त नियुक्ति पाने वाला कर्मचारी किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में डिलोमा धारक अवश्य हो तथा कम्प्यूटर कार्य करने में दक्षता रखता हो।

कार्य परिषद् के सदस्यों ने उक्त जानकारी को संज्ञान में लेते हुए यह मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये उक्त निर्णय, भविष्य में इस विश्वविद्यालय को विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों की ब्रेणी में ले जाने के कुलपति जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

कार्य परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि शिक्षकों के चयन हेतु जो पद विज्ञापित किये गये हैं, उनसे सम्बन्धित चयन समितियों की बैठकें जुलाई के अन्त तक सम्पन्न करा ली जायेंगी। कार्य परिषद् ने अन्य विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध सम्पन्न करा ली जायेंगी। कार्य परिषद् ने अन्य विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन करते हुए तथा आरक्षण नियमों का सख्ती के साथ पालन करते हुए, शीघ्र ही चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की निर्देश दिया।

अन्त में माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।


(प्रोफेसर विजय सिंह) कठियार
कुलपति/अध्यक्ष


(डा०वी०क०पा०ण्ड्या०)
कुलसचिव/सचिव